



29-8-19

कालूराम बनाम ओमप्रकाश

अभिभाषक अपीलॉट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रस्तुत अपील अपीलॉट द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीईंगराड के आदेश दिनांक 20-06-2013 को जारी एकतरफा अर्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध पारित की गई तथा उक्त अर्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व तत्पश्चात् दिनांक 16-08-2013 अप्रार्थाना को नोटिस हेतु निर्धारित की गई। चूंकि उक्त आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील के इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं व प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा अर्थाई निषेधाज्ञा दोनों पक्षों की बहस सुनकर एक माह में निस्तारण करें। उभय पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तम्मील दाखिल दफतर हो।

(Signature)

संयोजक न्यायाधीश (अपीलॉट)
राजस्वीक्षण प्रधिकारी
बीकानेर